



KOLAR UNIVERSITY

KOLAR, WEST BENGAL
AFFILIATED, P.O. 832702
PHONE NO - 06582 255274

Ref. No. KU/IV.5274/15

Date 07.05.2015

अधिसूचना

मानव संसाधन विभागा विभाग, झारखण्ड राज्य, सीपी के पत्रांक 5/वि/-10/2014-682 दिनांक 07.05.2015 के द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन के आशोक में निम्नलिखित महाविद्यालयों को बी.एड पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2015-17 के लिए शर्तों तदर्थ संबंधन प्रदान किया जाता है :-

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम
1.	स्वामी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सालवानी
2.	करीम रिट्री कॉलेज, जमशेदपुर
3.	आशु किशोर एव सी विवेक मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चांडिल
4.	नेताजी सुभाष इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, पोखारी
5.	इन्स्टीट्यूट फॉर एजुकेशन, सरायकेला-खरसाबा
6.	लोगोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जमशेदपुर
7.	जमिनि कान्त बी.एड कॉलेज, सालवानी

(क) यह संबंधन महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2015-17 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से पुनरीक्षित प्रसिद्धि मिलने के पश्चात्, ही मान्य होगा।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 2014 में अंकित प्रावधानों, मापदंडों एवं शर्तों का सभी शिक्षण संस्थान समायोजन अनुपालन करेंगे।

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा भविष्य में दिए जाने वाले मार्ग-दर्शन/निर्देशों का सभी शिक्षण संस्थान अद्यतन अनुपालन करेंगे।

(घ) महाविद्यालय NCTE में दाखिल शपथ पत्र में अंकित पाठ्यक्रम व दाखिलता क्षमता के अनुरूप निर्धारित सीटों पर राज्य सरकार के आदेशन नियमानुसार नामांकन करेंगे।

(ङ) महाविद्यालय झारखण्ड राज्य वि०वि० अधिनियम 2000 (वधा संशोधित) में वर्णित सुरंगत धरमजो के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेगा।

(च) NCTE अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों/निर्देशों के अनुपालन न किए जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय जैसे संस्थान की संबद्धता समाप्त किए जाने की प्रक्रिया आरम्भ कर सकता है।

कुलपति के आदेश से

Ho/-

कुलसचिव

कोलार विश्वविद्यालय, चांडिल।

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, सम्बंधित महाविद्यालय।
2. कुलपति/प्रति कुलपति/कुलसचिव के सहयोगी को उनके सूचनाई।
3. विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनाई एवं आवश्यक कार्याई।
4. सचिवालय में।



KOLHAR UNIVERSITY

CHAIBASA, WEST SINGBHUWA

JHARKHAND, PIN-833201

CONTACT NO - 06532 255274

सं. २. २२२२. ५. ११. ११६

Date / D. / S. / 16.

अधिसूचना

उच्च एम तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 5/थि0 1-79/2014-1140, सौंघी दिनांक 10.05.2016 के आलोक में झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम अद्यतन संशोधित की धारा 4(19) के अधीन निम्नांकित वी0 एड0 महाविद्यालयों के अस्थायी संबधन दीर्घाकरण प्रस्ताव पर निम्न संबधन अवधि के लिए भीघे परिगता शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	कॉलेज का नाम एवं पता	NCTE Recognition संबधी पत्रांक/दिनांक एवं किस पत्र	संबधन अवधि
1	2	3	4
1.	इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, विजया, सरायकेला-खरसावों	32079 दि0 25.05.15	2016-18
2.	आशु किस्कु एवं रवि किस्कु मेगोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, लुपूगडीह, चांडिला	32369 दि0 29.05.15	2016-18
3.	जगिनीकांत महतो महाविद्यालय, सालबनी	32505 दि0 30.05.15	2016-18
4.	लोलया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जमशेदपुर	32698 दि0 31.05.15	2016-18
5.	स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सालबनी	32330 दि0 28.05.15	2016-18
6.	करीम सिटी कॉलेज, जमशेदपुर	35181 दि0 21.08.15	2016-18
7.	नेताजी सुभाष इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, पोखारी, जमशेदपुर	32345 दि0 29.05.15	2016-18
8.	मधुसूदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चकधरपुर	31750 दि0 20.05.15	2016-18

शर्त :- महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि (क) मॉ दैष्णोदेवी महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य द्वारा दायर याचिका संख्या WP(c) No. 276/2012 में पारित न्यायादेश की कंडिका - 71 में अंकित निम्न निर्देशों का अनुपालन संबधित महाविद्यालय सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन ससमग अधोहरताशरी को उपलब्ध करायेगे । ताकि उक्त प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराया जा सके ।

- छात्रों के नामांकन की पात्रता,
- परीक्षा का संचालन,
- विहित कोर्स के पूर्णताकी प्रक्रिया,
- एन0सी0टी0ई0 द्वारा दिए गए शर्तों का अनुपालन ।

- (ख) निरीक्षण प्रतिवेदन में बताये गये कमियों/त्रुटियों की पूर्णता एवं दिए गए सुझाव का अनुपालन तत्समय करेंगे एवं प्रतिवेदन अग्रोहरताक्षरी को उपलब्ध करावेंगे ।
- (ग) AISHE portal पर data को upload करना ।
- (घ) IQAC का गठन ।


कुलपति के आदेश से
ह०/-
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय,
घाईबासा ।

पत्रांक KU/R/599/16

दिनांक 10.5.16

प्रतिलिपि-

1. निदेशक (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची ।
2. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय ।
3. कुलपति/कुलसचिव के सहायकों को उनके सूचनार्थ ।
4. परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ ।
5. संचिका में ।


10.05.2016
(एस० सी० दाश)
कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय,
घाईबासा ।

अधिसूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखण्ड सरकार (बी) के पत्रांक 5/13 1-79/2014-1340, संकी दिनांक 09-05-2017 के आलोक में पाठ्यक्रम सत्र 2017-19, 2018-20 एवं 2019-21 के लिए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम अद्यतन संशोधित की धारा 4(19) के अधीन निम्नांकित बी० एड० महाविद्यालयों के आरथारी संकेतन दीर्घीकरण प्रस्ताव पर निम्न संकेतन अधि के लिए निर्मित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र. सं.	संकेतन का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र	NCTE Recognition संकी पत्रांक / दिनांक
1	Ashu Kisku Memorial & Rabi Kisku TTC, Lupungdlh, Chandil	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-31363 दि-29.05.2015
2	Madhusudan Mahto TTC, Chakradharpur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-31750 दि-29.05.2015
3	Jaminikant B.Ed College, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32505 दि-30.06.2015
4	Srinath College of Education, Adityapur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-45854 दि-02.05.2016
5	Karim City College, Jamshedpur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-35161 दि-21.08.2015
6	Swami Vivekanand College of Education, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32330 दि-28.05.2015
7	Jamini Kalyani Mahto College of Management, Science & Commerce, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-46157 दि-02.05.2016
8	Netaji Subhash Institute of Education, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32345 दि-29.05.2015
9	Loyola College of Education, Jamshedpur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32558 दि-31.05.2015
10	Institute for Education, Seraikella-Kharsawan	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32079 दि-25.05.2015

महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि-
 (क) श्री वीष्णो देवी महिला महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका संख्या- WP(C) No. 276/2012 में पारित न्यायादेश की कड़िका-71 में अंकित निम्न निर्देशों का अनुपालन संबंधित महाविद्यालय सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को सततम उपलब्ध करायेंगे।

- (i) छात्रों के नामांकन की पात्रता,
- (ii) परीक्षा का संचालन,
- (iii) विहित कोर्स के पूर्णता की प्रक्रिया,



14.05.2017

(iv) एम्प्लॉयमेंटो हेतु दिए गए शर्तों का अनुपालन।

- (ख) निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाए गए कमियों/त्रुटियों की पूर्णता एवं दिए गए सुझावों का अनुपालन।
- (ग) AISHE portal पर data का upload.
- (घ) IQAC का पठन।

कुलपति के आदेशानुसार

ए/—

कुलसचिव


कोल्हापूर विश्वविद्यालय, चाईबासा ।

दिनांक 10.5.2017

पत्रांक KU/R/743/17

प्रतिलिपि—

1. निदेशक (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची।
2. प्राचार्य, संबन्धित महाविद्यालय।
3. कुलपति/प्रति कुलपति/कुलसचिव के सहायकों को उनके सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक /सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
4. सचिका में।

 10.5.2017

कुलसचिव

कोल्हापूर विश्वविद्यालय, चाईबासा ।



Ref. No. RMR/...558/...124

Date 01-06-24

अधिसूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड सरकार, राँची के प्रत्रांक:DHESec2/संबंधन-27/2020/HTESD-988 दिनांक 04/05/2023 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अद्यतन स्टैच्यूट के प्रावधानों के आलोक में कडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन निम्न महाविद्यालयों को B.Ed पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2023-25, 2024-26, & 2025-27 के लिए शर्ताधीन अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	सत्र	अनियुक्ति
1	Aashu Kishu Memorial & Rabi Kisku Teachers Training Institute, Lupungdih	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण
2	JKM College of Management Science & Commerce, Salboni	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण
3	D.B.M.S. College of Education Kadma, Jamshepur	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण
4	Rambha College of Education, Gitilata	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण
5	Institute for Education, Bijay, Seraikella	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण
6	Swami Vivekanada College of Education, Salboni	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण
7	Madusudan Mahto Teachers Training College, Chakradharpur	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण
8	Srinath College of Education, Adityapur, Jamshepur	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण
9	Karim City College, Jamshepur	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण
10	Jamini Kant B.Ed College, Salboni	B.Ed	2023-25, 2024-26, 2025-27	अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण

शर्त:-

- महाविद्यालय, द्वारा विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों एवं शर्तों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर किया जाएगा।
- महाविद्यालय, पूर्व क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भुवनेश्वर/ NCTE, नयी दिल्ली, द्वारा लगाये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा निर्गत पनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- जिन महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हें, विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन दीर्घाकरण की अधिसूचना जानी होने के 06 महीने के अंदर NAAC portal पर IIQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के संबंधन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।
- विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन0सी0टी0ई0/राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबंधता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अभिषद के आदेशानुसार

ह0/-

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

दिनांक 01-06-24

ज्ञापांक KU/R/558/24

प्रतिलिपि:

- प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय।
- परीक्षा नियंत्रक/ उप कुलसचिव को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
- कुलपति/प्रतिकुलपति के सहायक को उनके सूचनार्थ।
- संचिका में।

कुलसचिव
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा